न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
सार्व0वि0प्र0 वाद संख्या–56/2014
अनिल कुमार झा बनाम बिहार सरकार

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
24/04/15	**आदेश** अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद आवेदक अनिल कुमार झा, पे–स्व0 रत्नेश्वर झा, निवासी–वार्ड सं0–46 दरभंगा शहरी क्षेत्र, लहेरियासराय, दरभंगा की ओर से वकालतनामा के साथ अनुज्ञापन पदाधिकारी –सह–अनुमंडल पदाधिकारी सदर, दरभंगा के आदेश ज्ञापांक–848 दिनांक 12.09.14 सें आवेदक रिक्शा ठेला भेण्डर वार्ड सं0–46 शहरी क्षेत्र की अनुज्ञप्ति सं0–37/85 रद्द किये जाने के विरूद्ध वाद आवेदन दायर किया गया है। आवेदक द्वारा दाखिल वाद आवेदन को प्रतिग्रहित कर निम्न न्यायालय के अभिलेख की मॉग की गयी। अनुमंडल पदाधिकारी सदर, दरभंगा के द्वारा पत्रांक–2130 दिनांक–02.12.14 सें निम्न न्यायालय का अभिलेख (मुल संचिका) प्राप्त हुआ, जो अभिलेख पर संधारित है। वाद आवेदन के समर्थन मे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक दरभंगा शहरी क्षेत्र के वार्ड सं0–46 का अत्यन्त पुराना किरासन तेल रिक्शा ठेला भेण्डर के रूप मे अनुज्ञप्तिधारी है। आवेदक प्रारम्भ से ही नियमानुसार नियमित रूप से ठेला रिक्शा के माध्यम से निर्देशानुसार किरासन तेल का वितरण करता आ रहा है। नियमानुसार वितरण होने से कभी किसी लोगो को कोई कठिनाई नही हुई है एवं कभी शिकायत नही की गयी है। अनुमंडल पदाधिकारी सदर, दरभंगा के द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकरण शुल्क विलम्ब से जमा करने के संबंध में स्पष्टीकरण की मॉग किया गया जिसके प्रमाणिक साक्ष्य सहित आवेदक के द्वारा स्पष्टीकरण दाखिल किया, जिसमें उन्होनें उल्लेख किया है कि आवेदक की तबियत दिनांक– 28.11.13 को अचानक काफी खराब हो जाने के कारण स्थानीय चिकित्सक की चिकित्सा में रहे जहाँ वे दिनांक 28.11.13 से 10.02.14 तक थे। आवेदक द्वारा दिनांक 13.02.14 को चलान के द्वारा विलम्ब शुल्क के साथ जमा कर दिया गया। आवेदक द्वारा अनुज्ञप्ति के किसी शर्त्तो का उल्लंधन नहीं किया गया। उनका यह भी कहना है कि बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा–पत्र एकीकरण) 1984 की कंडिका–05 में स्पष्ट उल्लेख है कि बिलम्व शुल्क के साथ 31 जनवरी तक जमा किया जाना है, परन्तु आवेदक के द्वारा अपनी बीमारी की विवशता के कारण मात्र 13 दिन विलम्ब सें शुल्क जमा किया गया है। आवेदक ठेला रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करने वाला व्यक्ति है, जिसका अकारण अनुज्ञप्ति रद्द जाने के कारण उनके परिवार के समक्ष भुखमरी के साथ मानसिक एवं आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गयी है जिस कारण अनुमंडल पदाधिकारी सदर, दरभंगा द्वारा निर्गत आदेश ज्ञापांक–848 दिनांक	